राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3241/2025

सीता कुमारी मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा।
4. प्रधानाचार्य सह पीईईओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यलाय बीई, भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.07.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश संख्या 30.6.2025 को चुनौती दी है, जिसके तहत निजी प्रत्यर्थी को नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करते समय मांगे गए विकल्प के अनुसार नहीं, बल्कि 250 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर पदस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी को दिनांक 3.7.2025 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। (अनुलग्नक–1 व 2) महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन राजकाज संदर्भ 8725380 के अनुसरण में, अपीलार्थी ने आवेदन किया और परीक्षा में 42.75/100 अंक प्राप्त किए तथा विद्यालय चयन के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें चयन के प्रथम स्थान के रूप में ब्लॉक जहाजपुर भरा गया था। (अनुलग्नक–4,5 व 6) अपीलार्थी का पति AVVNL में कार्यरत है तथा AVVNL जहाजपुर में पदस्थ है। (अनुलग्नक–7) अपीलार्थी को अपीलार्थी द्वारा भरे गए विकल्प के अनुसार स्कूल के बजाय महात्मा गांधी सरकारी स्कूल कुशल खेड़ा अरनिया (40241) में 250 किलोमीटर दूर स्थान पर पदस्थापित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 30.6.2025 एवं कार्यमुक्ति

आदेश दिनांक 3.7.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ भरे गए विकल्प के अनुसार नियुक्ति दिए जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष